बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 07/06/2011

अधिसूचना संख्या-17/विविध-1-16/2010- 577 (17) /स्वा0, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल ''सिनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्त्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली, 2008'' में निम्नलिखित संशोधन करते है:-

संशोधन

उक्त नियमावली में :-

1. अध्याय-6 के नियम-9 के उप नियम (क) के खंड (iv) के बाद निम्नलिखित खंड (v) जोड़ा जायेगा :-

   ''(v) बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा के वैसे शिक्षक, जिनकी सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हुई है, या जिन्होने इस सेवा में आने के ठीक पहले बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा के सदस्य के रूप में बिना टूट के सेवा की हो, को डायनेमिक ए0सी0पी0 के वेतनमान का निर्धारण उनके सेवाओं के अंतर्गत कुल सेवावधि के आधार पर किया जाएगा । इसके फलस्वरूप-12 वर्षो की कुल लगातार सेवावधि पूर्ण होने पर सहायक प्राध्यापक को सह-प्राध्यापक के वेतनमान में और 18 वर्षो की कुल लगातार सेवावधि पूर्ण होने पर प्राध्यापक के वेतनमान में वित्तीय उत्क्रमण, अन्य शर्तें पूरी करने पर देय होगा ।''

2. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत होगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अमरजीत सिन्हा)
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक-17/विविध-1-16/2010- 577 (17) /स्वा0, पटना, दिनांक- 07/06/2011

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना कि 1000 (एक हजार) प्रतियॉ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ।

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक-17/विविध-1-16/2010- 577 (17) /स्वा0, पटना, दिनांक- 07/06/2011

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सभी प्राचार्य / अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक / सरकार के अपर सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक / सरकार के अवर सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक /प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1 एवं 2,3 एवं 17, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव ।